**बिहार सरकार**
**आपदा प्रबंधन विभाग**
**अधिसूचना**

सं०–एम० / सी०डी०:–130 / 2016.....3105..... / आ०प्र०, पटना, दिनांक..13.....अक्टूबर, 2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार राज्यपाल आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अधीन बिहार नागरिक सुरक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।** (1) यह नियमावली ''बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं।** – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है आपदा प्रबन्धन विभाग;

(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिदेशक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना;

(v) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग;

(vi) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

(vii) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है नागरिक सुरक्षा निदेशालय।

3. **संवर्ग का गठन।** – बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान।** – इस संवर्ग में विभिन्न कोटियॉ और पदसोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे। परिशिष्ट–1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त, प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

5. **भर्त्ती।** – (1) निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत बल का 85% पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हत्ता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम से, भरे जायेंगे। सीधी भर्त्ती के 85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए 10% से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में इस सीमा को शिथिल किए जाने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार में निहित होगी।

(2) इस संवर्ग के मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) के स्वीकृत बल के 85% पदों में से 10% पदों को छोड़कर शेष पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से होगी।

6. **अर्हत्ताएँ।** – (1) निम्नवर्गीय लिपिक पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के लिये न्युनतम शैक्षणिक अहर्ता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

(2) नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्त्ती के लिये न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।

(3) विज्ञापन वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्त्ती की प्रक्रिया।** – (1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर, मूल कोटि में सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ अवधारित करेगा और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) आधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन्टर (10+2) स्तरीय परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(3) उपनियम (2) के आधार पर मेधा सूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच करायी जायेगी और तत्पश्चात अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा नियुक्ति का आदेश निर्गत किए जाने के पश्चात् ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।** – नवनियुक्ति अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक को बिना किसी सूचना के सेवामुक्त कर सकेंगे।

9. **प्रशिक्षण।** – परीक्ष्यमान निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो विभाग/निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।** – (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र–1 सेवा नियमावली–बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिपण्णी एवं प्रारूपण।

पत्र–2 वित्तीय नियमावली–कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, बीमा नियमावली।

(3) उप नियम (2) में अवधारित विभागीय परीक्षा का विषय वस्तु राजस्व पर्षद द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा।

(4) बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के प्रावधान इस संवर्ग पर लागू होंगे।

11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त निम्नवर्गीय लिपिक को सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।** – निम्नवर्गीय लिपिक की आपसी वरीयता, आयोग द्वारा अवधारित मेधा सूची के अनुसार, अवधारित होगी।

13. **प्रोन्नति के सोपान।** – (1) सेवा में सम्पुष्ट निम्नवर्गीय लिपिकों को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुये, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी चारित्री या पी०ए०आर०, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।** – प्रोन्नति विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाएगी।

15. **आरक्षण।** – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. **परिशिष्ट**–1 मे उल्लिखित पद सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होगा। अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पद–सोपान में कोई परिवर्त्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्टि–1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. **प्रकीर्ण विषय।** — इस नियमावली से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू सुसंगत संहितायें/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे।

18. **निर्वचन।** — इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के सबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित किया जाएगा और इस संबंध मे विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

19. **विनियमावली बनाने की शक्ति।** — इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा।

20. **निरसन एवं व्यावृति।** — (1) इस सेवा/सम्वर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझी जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त संकल्प/नियमावली/आदेश, आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जाऐगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

## परिशिष्ट–1

**[नियम 2 (vi), 4,13,16 द्रष्टव्य]**

**बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग का पद सोपान**

| क्रमांक | कोटि | पदनाम | सीधी भर्त्ती या प्रोन्नति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल कोटि | निम्नवर्गीय लिपिक | सीधी भर्त्ती द्वारा | |
| 2 | प्रथम प्रोन्नति के पद | उच्च वर्गीय लिपिक | नियमित रूप से नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा | |
| 3 | द्वितीय प्रोन्नति के पद | प्रधान लिपिक | उच्च वर्गीय लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा | |
| 4 | तृतीय प्रोन्नति के पद | सहायक प्रशासी पदाधिकारी | प्रधान लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा | |

नोटः–उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—एम० / सी०डी० 130 / 2016......................./ आ०प्र०          पटना, दिनांक............अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह० / —
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—एम० / सी०डी० 130 / 2016.....3105...../ आ०प्र०          पटना, दिनांक...13...अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / महानिदेशक—सह—आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई० टी० मैनेजर, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव